

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला इन्दौर म.प्र.

क्रमांक/ 863/स्थापना/2/2018

इन्दौर, दिनांक ०४ जून, 2018

आदेश

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से जिले में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा (अपर कलेक्टर) के अधिकारियों के मध्य किए गये आदेश क्र. 592/स्था/2/2018 दि. 19.04.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार नवीन कार्य विभाजन किया जाता है:-

क.	अधिकारी का नाम	कार्य का विवरण
1	श्री निशांत वरवडे, (IAS) कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी	<p>(A) राजस्व प्रकरणों का निराकरण :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. म.प्र. भू-राजस्व संहिता-1959, पंचायत राज अधिनियम, नगर पंचायत, नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील निगरानी एवं मूल प्रकरणों का निराकरण। (प्रत्येक तीसरा प्रकरण) 2. शासन की भूमि से संबंधित समस्त प्रकरण। 3. प्रतिभूतिकरण और वित्तीय अस्तियों का पुर्नगठन एवं प्रतिभूतियों हित प्रवर्तन अधिनियम-2002 के प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण (राशि रूपये 1.00 करोड़ से अधिक) 4. आबकारी अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण। <p>(B) अन्य प्रभार</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सूचना का अधिकार के तहत अपील 2. जिला निर्वाचन अधिकारी 3. प्रमुख जनगणना अधिकारी 4. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय, इन्दौर 5. विभिन्न अधिनियमों /निर्देशों में प्रदत्त अधिकार
2	सुश्री निधि निवेदिता (IAS) अपर कलेक्टर इन्दौर	<p>(A) राजस्व प्रकरणों का निराकरण :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. म.प्र.भू-राजस्व संहिता-1959 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील निगरानी एवं मूल प्रकरणों का निराकरण। (प्रत्येक 1 एवं 2 प्रकरण) अनुभाग- (1) सांवेर (2) खुडैल (3) विजय नगर (4) सेन्द्रल कोतवाली 2. धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व देवस्थान तथा वक्फ सम्पति तहत कार्यवाही 3. संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित आवासीय मानचित्र पर प्रतिहस्ताक्षर 4. अपने अनुभाग अंतर्गत म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत सेवाओं का निराकरण समयसीमा में पदाभिहीत अधिकारी न करने के स्थिति में प्रथम अपील के दायित्वों का निर्वहन किया जावेगा। 5. अपने अनुभाग अन्तर्गत बी.पी.एल.सर्वे सूची में नाम दर्ज कराए जाने हेतु एवं जाति प्रमाण पत्र हेतु, तथा दस्तावेज की नकल हेतु

Handwritten signature/initials